IV-294/21

प्रवीन कुमार सिंह
स्टाम्प विक्रेता ला0 सं0 33
ACC ID- 14123404
तहसील कोल, अलीगढ़

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP45761854167523T
Certificate Issued Date	:	25-Nov-2021 06:17 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14123404/ ALIGARH/ UP-ALG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP141234048148255195957 7T
Purchased by	:	SHRIBHAKT HANUMAN S S TRUST BY CHANDRAMOHAN MITTAL
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHRIBHAKT HANUMAN S S TRUST BY CHANDRAMOHAN MITTAL
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SHRIBHAKT HANUMAN S S TRUST BY CHANDRAMOHAN MITTAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	3,100 (Three Thousand One Hundred only)

Please write or type below this line

VERIFIED BY.....
LOCKED BY.....

0002977543

Statutory Alert:



क्षेत्राधिकार– उपनिबधंक–।
ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख)
अदा ई0 स्टाम्प– 3100/–रूपया जिसका ई0 स्टाम्प नबंर– IN-UP45761854167523T दिनांक 25.11.2021 को अदा किया है।

श्री भक्त हनुमान सेवा समिति ट्रस्ट गॉधी स्मारक के सामने गली बेगम बाग तह0 कोल अलीगढ़

यह ट्रस्ट डीड आज दिनाकं 25.11.2021 को चन्द्रमोहन मित्तल पुत्र स्व0 श्री चरणबिहारी लाल निवासी 662 –ए, गॉधी स्मारक के सामने गली बेगम बाग तह0 कोल शहर अलीगढ़ मोबाइल नबंर– 8449067863 आधार नबंर–3466 2426 0209 द्वारा निष्पादित एवं हस्ताक्षरित की जाती है।

प्रारम्भिक परिचय–

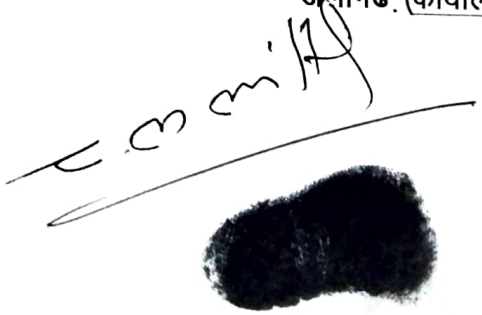
मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास होता है। सम्पूर्ण जगत ईश्वरमय है। जो कुछ इस जगत में प्राप्त है वह ईश्वर का आर्शीवाद है। मैं भारत वर्ष में जन्मा पला पढ़ा हुआ हूॅ। यहॉ की संस्कृति अतुलनीय है तथा ईश्वर की कृपा है। प्राणी मात्र की सेवा एवं रक्षा भारत वर्ष की संस्कृति है। नर सेवा नारायण सेवा में पूर्ण आस्था रखता हूॅ।

51000/–रू0 की धनराशि से इस ट्रस्ट की स्थापना करता हूॅ। ट्रस्ट के माध्यम से जन साधारण हित में विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न किये जायेंगे। ट्रस्ट के संस्थापक चन्द्रमोहन मित्तल पुत्र स्व0 श्री चरण बिहारी लाल निवासी बेगम बाग अलीगढ़

1. संस्थापक/सचिव को किसी भी भारत के नागरिक को सदस्य बनाने का एवं निष्कासन का पूरा अधिकार होगा तथा सचिव पद हेतु अपने उत्तराधिकारी का चयन स्वंय करेगा।चयन न कर पाने की स्थिति में 5 वरिष्ठ सदस्यों के विचार विर्मश से उत्तराधिकारी बनाया जायेगा।
2. किसी भी सदस्य को एवं पदाधिकारी के असहयोग एवं अनुशासनहीनता की अवस्था में तथा नियम के उल्लंघन की अवस्था में संस्थापक/सचिव का अधिकार होगा कि वह उस सदस्य को एवं पदाधिकारी को बिना नोटिस के तत्काल प्रभाव से ट्रस्ट से एवं पद से हटा सकता है। समय रहने पर 7 दिन का नोटिस दिया जा सकता है।

ट्रस्ट का सम्पूर्ण विवरण–

ट्रस्ट का नाम	**श्री भक्त हनुमान सेवा समिति ट्रस्ट**
ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय	**772 ए0 गॉधी स्मार्क के सामने गली गली बेगम बाग अलीगढ. (कार्यालय ट्रस्ट की सम्पत्ति नही हैं)**



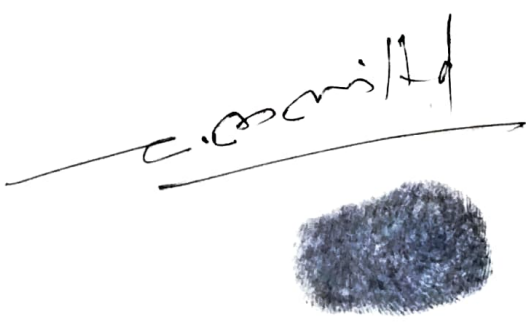
ट्रस्ट के पास 51,000/– रूपया चल धनराशि के अतिरिक्त कोई अचल सम्पत्ति नही है।

ट्रस्ट का क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष

ट्रस्ट की प्रकृति ट्रस्ट द्वारा लाभान्वित व्यक्ति जन साधारण (General Public) में से होंगे एवं कोई भी विशेष अथवा निर्दिष्ट (Specific) व्यक्ति एवं कोई भी व्यक्ति जो इस सोसाइटी का किसीभी वर्ग का सदस्य हो, लाभान्वित व्यक्ति नहीं होगा। इस प्रकार यह ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट है।

ट्रस्ट का उद्देश्य ट्रस्ट के निम्न लिखित उद्देश्य नियुक्त किये जाते है।

1. ट्रस्ट का उद्देश्य बृद्वाश्रम व अनाथ आश्रम का निर्माण करना व उनका संचालन करना।
2. ट्रस्ट का उद्देश्य जगह–जगह गर्मियों में ठण्डे जल की प्याऊ तथा सर्दियो में रात्रि रैन बसेरे की स्थापना करना व अलाव जलवाना।
3. समाज के उत्थान हेतु संस्थानो जैसे निःशुल्क शिक्षालय,अनाथालय, धमार्थ चिकित्सा संस्थानों की स्थापना करना एवं उनका प्रबंध करना।
4. ट्रस्ट का उददेश्य सर्वजातीय कन्याओ का सामूहिक विवाह आयोजन करना एवं कन्याओ की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
5. समाज के पिछडे हुये लोगो के उत्थान हेतु भूकंप व बाढ पीडितो व अन्य देवीय आपदाओ से परेशान व पीड़ित लोगों की मदद करना व उनकी हर प्रकार से सेवा करना।
6. निर्धन एवं अनाथ लोगो व पिछडे क्षेत्रो का विकास हेतु केन्द्रीय व राज्य सरकार के सम्बंधित विभागो मत्रालयों जैसे– स्वास्थ्य परिवार कल्याण यूनिसेफ टफडको महिलाओ जैसे बाल विकास विभाग, कपार्ट, काइ, सिप्सा, नावार्ड आवार्ड नीयड डूडा,सूडा, सिड़की, राष्ट्रीय महिला कोष, बाल विकास पुष्टाहार, महिला मत्सय विभाग, समाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मत्रांलय, श्रम मंत्रालय, राजीव गॉधी फाउण्डेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विज्ञान एवं अधिकारिता मंत्रालय, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामाद्योग बार्ड, खादी गामोद्योग आयोग आदि के वित्तीय सहयोग से चलायी जा सकती है, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओ को चलाकर नागरिको का सर्वागीण विकास करना। समाज के बुजुर्गो, वृद्वो का निराश्रितो के प्रेम एवं सामान भाव जगाने एवं बनाये रखने के लिये नियमित रूप से गोष्ठियो का आयोजन करना एवं वृद्वजनो की पंशन में सहयोग करना।
7. **ट्रस्ट के हित के लिये व्यवसायिक कार्य करना।**



ट्रस्ट की नियमावली–

1. **संस्थापक सदस्यः–** इस संस्था की स्थापना श्री चन्द्रमोहन मित्तल पुत्र स्व0 श्री चरन बिहरी लाल निवासी 772,ए0 गॉधी स्मार्क के सामने बेगम बाग अलीगढ के द्वारा की गई है वह ट्रस्ट के संस्थापक / आजीवन सचिव सदस्य रहेगे जिनके द्वारा इस ट्रस्ट की स्थापना के समय ट्रस्ट के स्मृति पत्र व नियमावली पर हस्ताक्षर किये गये हैं।
2. **संरक्षक सदस्यः–** जो सज्जन इस ट्रस्ट को एक मुश्त 31,000/–रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई चल सम्पत्ति दान स्वरूप देगे वह ट्रस्ट के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेगें एवं वार्षिक शुल्क देंगे।
3. **आजीवन सदस्यः–** जो सज्जन इस ट्रस्ट को एक मुश्त 21,000/–रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई चल सम्पत्ति दान स्वरूप देगे वह ट्रस्ट के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेगें एवं वार्षिक शुल्क देगे।
4. **साधारण सदस्यः–** जो इस ट्रस्ट को 5100/– रूपया सदस्यता शुल्क निस्वार्थ भाग से देगे तथा प्रति वर्ष वार्षिक 2100/–रूपया देगे ,वह इस ट्रस्ट के साधारण सदस्य होगे।
5. **विशिष्ट सदस्यः–** ऐसे सज्जन जिनको आवश्यकता इस ट्रस्ट की महसूस हो रही है एवं ट्रस्ट को तन, मन धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हो व जो विद्वान होगे सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यो जनप्रतिनिधि सदस्यो को वर्तमान कार्यकारिणी समिति दो वर्ष के लिये विशिष्ठ सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगे, उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान, चंदा ट्रस्ट को स्वीकार होगा ऐंसे सदस्यो का चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधिकार न होगा।
6. **सदस्यता की समाप्ति :–**

(I) मृत्यु होने, पागल या दिवालिया होने पर।

(II) अनुशासन हीनता , आचरण भृष्ट होने पर एवं ट्रस्ट विरोधी कार्य करने पर।

(III) किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जानेपर।

(IV) संरक्षक सदस्य/ आजीवन सदस्य/साधारण सदस्यों का वार्षिक शुल्क लगाकर प्रति वर्ष तक समय से जमा न करन पर उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(V) त्याग पत्र आम सभा द्वारा पारित किये जाने पर।

(VI) समिति के किसी भी सदस्य के साथ अभद्र व्यवहार करने पर अथवा समिति के उद्देश्यो को पूर्ण न करने पर एवं अनुशासन हीनता करने पर समिति का संस्थापक/ सचिव वरिष्ठ सदस्यो से विचार विमर्श करने पर किसी भी सदस्य को हटा सकेगे।

C. M. Mittal

7- संस्था के अंग :– (अ) साधारण सभा (ब) प्रबंध कारिणी समिति

(अ) साधारण सभा–

1– गठन– समिति के सभी सदस्य साधारण सभा के सदस्य होगे।

2 बैठक – संस्थापक/सचिव द्वारा साधारण सभा की समान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक बुलायी जा सकती है।

3– सूचना अवधि– साधारण सभा की सामान्य बैठको की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व व विशेष बैठको की सूचना 3 दिन पूर्व के किसी उचित या पर्याप्त माध्यम से दी जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्यः– वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यकमो की रूपरेखा तैयार करने पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत एवं अनुमोदन करना। ट्रस्ट की भावना को ध्यान में रखकर कार्य करना।

4–कार्यकारिणी में निम्न पदाधिकारी होगें:–

सरक्षंक –1
अध्यक्ष –1
उपाध्यक्ष –2
सचिव –1
उप सचिव –1
कोषाध्यक्ष –1
आय व्यय निरीक्षक–1
विधि प्रकोष्ठ सचिव –1
कार्यकारिणी सदस्य–1
प्रचार एवं सूचना सचिव – 1
उपरोक्त वर्णित पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्य होगे।

(ब) प्रबंध कारिणी समितिः–

1– गठन – प्रबंधकारिणी समिति का गठन संस्थापक/ सचिव व अन्य 5वरिष्ठ सदस्यों के साथ विचार विमर्श करके होगा।

2– संस्थापक/सचिव का कार्यकाल आजीवन होगा। सचिव पद के अलावा अन्य पदाधिकारियो का कार्यकाल चुनाव गठन के बाद एक वर्ष का होगा।

3– प्रबंधक कारिणी समिति में सदस्यो की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है। कुल 15 सदस्यो से अधिक नही होगे।

5– प्रत्येक प्रस्वाव कार्यकारिणी एवं साधारण सभा की 2/3 बहुमत आवश्यक है।

5– प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्यः–

1– ट्रस्ट की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादो को सुलझाना।

2– नियमो विनियमो में संशोधन परिवर्तन, परिवर्धन संस्थापक/सचिव एवं 5 वरिष्ठ सदस्यो (1 विधि प्रकोष्ठ सचिव) से विचार विमर्श करके होगा।

3–वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमो की रूपरेखा तेयार करना संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सम्बंधित विभागो/ मंत्रालयो एवं अन्य संस्थानो प्रतिष्टानो निकायो, नागरिको आदि से

दानचन्द्रा, ऋण, अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त, आय की संस्था के हितार्थ समिति कार्य में व्यय करना।

4– ट्रस्ट के द्वारा संचालित प्रत्येक कार्यक्रम के लिये अलग–अलग उप समितियो का गठन कर उनके लिये पदाधिकारियो सदस्यो का मनोनयन करना जो ट्रस्ट का कार्यक्रम हेतु जिला तहसील व ब्लॉक स्तर पर संचालन करना, उपरोक्त उददेश्यो की पूर्ति हेतु भूमि तथा अन्य किसी प्रकार से किसी भी भवन को बनाये रखना।

6– **कार्यकालः–** प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियो एवं सदस्यो का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा एक वर्ष उपरान्त कार्यकारिणी का गठन संस्थापक सचिव एवं 5वरिष्ठ सदस्यों से विचार विमर्श करके होगा।

7– पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः–

1– संरक्षक :–

1. ट्रस्ट के सभी कार्यक्रमो की रूपरेखा का निरीक्षण करना व समय समय पर निर्देश देना।
2. सभी कार्यक्रमो की देखरेख करवाना व समय समय पर मार्गदर्शन करना।

2– अध्यक्षः–

1– ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की मीटिगों की अध्यक्षता करना।

2– ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यो की करना व ट्रस्ट की देखभाल करवाना।

4– ट्रस्ट के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करवाना।

3– उपाध्यक्ष :–

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना।
2. सामान्य स्थिति में अध्यक्ष के कार्यो में उनका सहयोग करना।
3. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के सभी अधिकार होगे।

4–संस्थापक/सचिवः–

1. ट्रस्ट के संस्थापक/सचिव समिति के आजीवन सचिव होगें। ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिग बुलाना ।
2. किसी भी सदस्य को बनाने का या सेवा समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

3. संस्थापक/सचिव तथा 5 वरिष्ठ सदस्यो के विचार विमर्श के साथ प्रति वर्ष कार्यकारिणी का गठन करेगे।

8– कार्यकारणी संगठन का अधिकार :–

1– ट्रस्ट के विकास हेतु वे सभी आवश्यक कार्य करना जो कि ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति एवं ट्रस्ट के विकास में सहायता करना।

2– ट्रस्ट के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, अनुदान पत्रों, चैको, ड्राफ्टों बंधक विलेखो, बिल बाउचरो पर हस्ताक्षर करना एवं उनकी सुरक्षित करना।

उप सचिवः– संस्थापक/ सचिव की अनुपस्थिति में उनके स्वीकृत कार्यो को करना, सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना।

कोषाध्यक्ष :–

1. ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा जोखा रखना एवं आय–व्यय के बही पत्रों की तैयार करना।
2. कोष की संस्था के खाते में जमा करना एवं दान अनुदान करना, चंदा आदि प्राप्त करना।
3. सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किसी का भुगतान करना।
4. अध्यक्ष व सचिव के कार्यो का सहयोग करना।

प्रचार मंत्री सूचना सचिवः– संस्था की योजनाओ व कार्यक्रमो का प्रचार प्रसार करना/कराना, प्रत्येक सदस्य को मीटिंग की सूचना देना और पूरी कार्यवाही लिखना। समिति द्वारा किये गये कार्यो का प्रचार व प्रसार करना।

विधि प्रकोष्ठ सचिव :–

1. ट्रस्ट की प्रबंध समिति के समक्ष आ रही कानूनी समस्याओ में निराकरण में अध्यक्षता व सचिव का सहयोग करना।
2. ट्रस्ट के अध्यक्ष सचिव के कार्यो में सहयोग करना।
3. समिति के सभी कार्यो में सहयोग करना।
4. ट्रस्ट द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन व देखरेख करेगें।
5. ट्रस्ट के नियमो विनियमो में संशोधन प्रकिया :– ट्रस्ट के नियमो विनियमो में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन संस्थापक / सचिव 5 वरिष्ठ सदस्यो के साथ विचार विमर्श करके करेगे।

संस्था का कोष व लेखा व्यवस्था :–

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक/ मान्यता प्राप्त बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा। जिसका संचालन संस्थ के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

संस्था का लेखा परीक्षा :– ट्रस्ट का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति के उपरान्त आडीटर व आवश्यकतानुसार चार्टड एकाउन्टेट द्वारा कराया जायेगा।

संस्था के अभिलेख :–

1– सदस्यता रजिस्टर , 2– कार्यवाही रजिस्टर, 3– कैशबुक, कुक 4– एजेन्डा रजिस्टर ।

प्रबंधककारिणी समिति के पदाधिकारियो व सदस्यगण के नाम व पता व व्यवसाय निम्न होगे, जिन्हे संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है:–

क0स0	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री हरीशंकर अग्रवाल	ई–26विक्रम कालौनी अलीगढ	संरक्षक	व्यापार
2	श्री अशोक कुमार	2/257विष्णुपुरी,अलीगढ	अध्यक्ष	ठेकेदार
3	श्री सतेन्द्र कुमार मित्तल	284 मित्तल स्वीट हाउस विष्णुपुरी अलीगढ	उपाध्यक्ष	व्यापार
4	श्री अनूप कुमार गुप्ता	ग्रीनपार्क अपार्टमेन्ट क्वार्सी बाईपास अलीगढ	उपाध्यक्ष	वित्तीय सलाहकार
5	श्री चन्द्रमोहन मित्तल	बेगमबाग , अलीगढ	सचिव	व्यापार
6	श्री विनय कुमार अग्रवाल	1/476 प्रीमियर बैंक कालौनी, अलीगढ़	उपसचिव	कोलोनाइजर
7	श्री वीरेश कुमार एड0	बेगम बाग, अलीगढ	कोषाध्यक्ष	वकालत
8	श्री डी0 के0 अग्रवाल (डी0के0)	2/319 विष्णुपुरी,गायत्री निवास अलीगढ	सूचना प्रचार सचिव	वित्तीय सलाहकार
9	डा0 अनिल वार्ष्णेय	क्वेरी एन्कलेव स्वर्णजयन्तीनगर अलीगढ	आय व्यय निरीक्षक	प्रोफेसर
10	श्री हरिओम वार्ष्णेय एडवोकेट	संगमबिहार कालौनी गली नबंर 4,तिकौना नगला रोड अलीगढ	विधि प्रकोष्ठ सचिव	वकालत
11	श्री मनमोहन मित्तल	मलीवाली गली बेगमबाग अलीगढ	कार्यकारिणी सदस्य	व्यापार

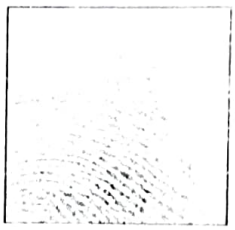
आवेदन स०: 202100755050847

न्यास पत्र

बही स०: 4 **रजिस्ट्रेशन स०: 294** **वर्ष: 2021**

प्रतिफल- 51000 स्टाम्प शुल्क- 3100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 510 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 590





श्री चन्द्र मोहन मित्तल ,
पुत्र श्री स्व० चरण बिहारी लाल
व्यवसाय : अन्य
निवासी: 662 ए० गाँधी स्मारक के सामने गली बेगम बाग तह० कोल शहर अलीगढ

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय मे दिनाँक 27/11/2021 एव 02:05:38 PM बजे
निबधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

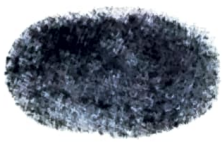
सहा० निबंधक श्रेणी प्रथम
अलीगढ़
27/11/20

सब रजिस्ट्रार (प्रथम) जिला अलीगढ़ ★ उत्तर प्रदेश ★

अन्यः—

1. ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति को कोई भी अपव्यय नही करेगा। जनधन की हानि जैसी विषम परिस्थिति में सर्वाधिकार संस्थापक/सचिव को होगा। बैंठक के समय कार्य कारिणी समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी अनुपस्थित रहने पर संस्थापक/सचिव कारण बताओ नोटिस के माध्यम से सन्तुष्ट होने पर उचित निर्णय लेगा।
2. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) अखंडनीय (Irrevocable) रहेगी।
3. यह कि ट्रस्ट के धन एवं सम्पत्ति का उपयोग ट्रस्ट के उद्देश्यो के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में नही होगा।
4. ट्रस्ट के विघटन की स्थिति में ट्रस्ट का समस्त शेष धन एवं सम्पत्ति किसी ऐसे ट्रस्ट अथवा सोसाइटी तो सौंप दी जायेगी, जिसके उददेश्य पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से इस ट्रस्ट के उददेश्यो के सामान होंगे।
5. ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरूद्व कोई भी कार्य प्रतिबंन्धित रहेगा। आज दिनाक 25.11.2021 को अलीगढ़ में निम्न साक्षीयों की उपस्थिति में ट्रस्ट के संस्थापक/ सचिव श्री चन्द्रमोहन मित्तल जी ने स्वस्थ मस्तिष्क से बिना किसी मानसिक दबाब के खूब सोच समझ कर तथा स्वतंत्र सहमति से इस ट्रस्ट डीड को निष्पादित एवं हस्ताक्षरित कर दिया ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।





आवेदन सं०: 202100755050847

बही स० 4 रजिस्ट्रेशन स० 704 वर्ष: 2021

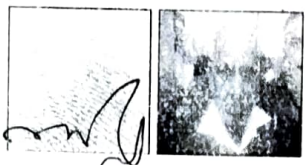
निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री चन्द्र मोहन मित्तल, पुत्र श्री स्व० चरण बिहारी लाल

निवासी: 662 ए० गाँधी स्मारक के सामने गली बेगम बाग तह० कोल शहर अलीगढ

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री मुनेश कुमार चौहान, पुत्र श्री स्व० सुरेन्द्र सिह चौहान

निवासी: 5/71 सुरक्षा बिहार कालौनी जी०टी० रोड अलीगढ

व्यवसाय: अन्य



पहचानकर्ता : 2

श्री संजीव कुमार , पुत्र श्री बीरेन्द्र सिह

निवासी: ग्राम व पो० ओगीपुर तह० गभाना जिला अलीगढ

व्यवसाय: अन्य



रजिस्टीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियो के निशान अगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी:

अजीत सिंह
उप निबधक : सदर प्रथम
अलीगढ

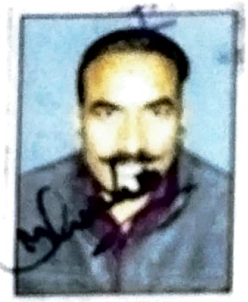
विमल कुमार शिष्ठ
निबधक लिपिक



फोटो प्रमाणित कर्ता वीरेन्द्र कुमार एडवोकेट तहसील कोल, अलीगढ गवाहो की शिनाख्त पर ।

[redacted]

गवाह–मुनेश कुमार चौहान पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान नि0 5/71, सुरक्षा बिहार कालौनी जी0टी0 रोड, अलीगढ
मो0न0 –7454927476



गवाह– संजीव कुमार पुत्र श्री बीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम व पो0 ओगीपुर तह0 गभाना जिला अलीगढ
मो0न0– 9368119311



तहरीर तारीख –25.11.2021 टकण कर्ता मुनेश चौहान
मजमून नवीस–वीरेन्द्र कुमार एडवोकेट तह0 कोल अलीगढ व इकरार मुकिर लिखा गया।

वीरेन्द्र कुमार
(एडवोकेट)

आवेदन सं०: 202100755050847

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 777 के पृष्ठ 203 से 224 तक क्रमांक 294 पर दिनाँक 27/11/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आजाद सिंह
उप निबंधक : सदर प्रथम
अलीगढ
27/11/2021

उप निबंधक सब रजिस्ट्रार (प्रथम) जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश